भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 617

दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विकासात्मक कार्य योजना

617. **श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आवश्यक आवंटन, उपयोग आदि से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन कमियों का पता लगाया गया है और उन पर क्या सुझाव मिले हैं;

(ग) ऐसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त मुद्दों को सुलझाने में नीति आयोग का दायरा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एवं (घ) नीति आयोग ने 2017 में 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी एवं डीएपीएसटी) हेतु निधि निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश" नामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 41 मंत्रालयों/विभागों को संबंधित योजनाओं के तहत निधि निर्धारित करना आवश्यक है, और यह निधि आवंटन मंत्रालय/विभाग के कुल बजट के बजाय योजना-विशेष बजट पर आधारित होता है। दिशा-निर्देशों में यह भी बताया गया है कि नोडल मंत्रालय, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय डीएपीएससी एवं डीएपीएसटी की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। नीति आयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए गठित अलग-अलग समितियों का सदस्य है। दिशा-निर्देशों की एक प्रति https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-12/NITI_Aayog_Guideliens_for_SCSP_TSP_2017.pdf पर उपलब्ध है।

*****